न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 26/2016

प्रार्थी–

गुमानदान पुत्र पुखराज निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बाड़मेर (राज0)

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. अशोक कुमार पुत्र गुमानदान जाति राव निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
2. ग्राम पंचायत महिलावास तहसील सिवाना जरिये सरपंच
3. नरपतसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति पुरोहित निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 33 दिनांक 15.09.2009 मिसल संख्या 94 जो अप्रार्थी सं. 1 अशोक कुमार के नाम ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 3 की ओर से उपस्थित।
3. अवशेष अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 28.10.2020

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा प्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(ख) के तहत ग्राम महिलावास मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 33 दिनांक 02.09.2014 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 1330 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किया जाना मानते हुए, उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई उपरांत इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.09.2017 के द्वारा स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा विलेख सं. 33 को खारिज कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी सं. 3 नरपतसिंह द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका सं. 11048 / 2018 प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 10.07.2019 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए इस निगरानी प्रार्थना–पत्र को पुनः नये सिरे से निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये गये। इस पर प्रकरण पुनः नम्बर पर कायम किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थी सं. 1 व 2 अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया एवं ग्राम पंचायत महिलावास का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए किसी भी नियम की पालना नही की गई है, जिससे आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य है। प्रार्थी व उसका पुत्र विगत कई वर्षों से पृथक–पृथक रह रहे हैं तथा प्रार्थी अपनी स्वयं की खेती की कमाई से अपना भरण–पोषण करता हैं। ग्राम पंचायत की ओर से अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे जिस विवादित भूमि का पट्टा जारी किया गया हैं वह विवादित भूमि निगरानीकर्ता के नाम से जारी पट्टा सं. 10 जो ग्राम पंचायत द्वारा मिसल सं. 86 / 2010–11 मे दिनांक 12.01.2011 को जारी किया गया है, की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पर दुबारा जारी किया गया हैं। प्रार्थी के पट्टाशुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 1 का कभी कब्जा–स्वामित्व नही रहा हैं जिस पर अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा जारी करने मे अप्रार्थी सं. 2 द्वारा निहित शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थी सं. 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से जारी किया गया हैं जो निरस्त योग्य है।

4. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि विवादित भूखण्ड पर कदीमी स्वामित्व की हैसियत से आधिपत्य निगरानीकर्ता स्वंय का है, अप्रार्थी सं. 3 नरपतसिंह ने केवल मात्र अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में करवाये गये अवैध बेचान के आधार पर विभागों में बेचान पेश कर अपने नाम से बिजली व पानी के कनेक्शन करवाया गया है जबकि मौके पर निगरानीकर्ता स्वंय का पूर्व का कनेक्शन विद्यमान हैं, उसी कनेक्शन को अपना बता कर स्वामित्व बताने का प्रयास किया हैं। प्रार्थी एवं उसके पुत्र अप्रार्थी सं. 1 के बीच किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ हैं बल्कि प्रार्थी द्वारा दर्ज कराये गये आपराधिक प्रकरण में बाद अनुसंधान न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया हैं जो वर्तमान में न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवाना के समक्ष विचाराधीन हैं। विवादित भूखण्ड का पट्टा सं. 10 जो प्रार्थी के नाम से स्वंय के स्वामित्व में रहते हुए अप्रार्थी सं. 2 अशोक कुमार के नाम से जारी किया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टा जरिये सम्पत्ति का न तो हस्तान्तरण की व न ही किसी भी रूप में अन्तरण की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत द्वारा जो आलौच्य पट्टा जारी किया गया है वह विधि विरूद्ध एवं वैधानिक नियमों के विपरित जारी किया गया हैं तथा इस आधार पर उक्त पट्टा प्रारम्भ से शुन्य हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा दिनांक 02.09.2014 खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:31 IST
Reason: Self Attested

5. अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रक्कथन में प्रकट किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 पिता–पुत्र ने मिल कर पूर्व में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में अवैध कब्जा किया और इस अवैध कब्जे के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आधार पर पिता ने अशोक कुमार के नाम से पट्टा जारी करवाया जो पट्टा सं. 33 दिनांक 02.09.2014 ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा को जारी करवाने के बाद उप पंजीयक सिवाना के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया गया। अप्रार्थी सं. 3 ने पंजिबद्ध पट्टे के आधार पर रूपये 130000/– अदा कर भूखण्ड क्रय किया हैं। इस प्रकार जब तक प्रार्थी इस रजिस्टर्ड डीड को निरस्त नहीं करवा देता हैं तब तक इस निगरानी प्रार्थना–पत्र में कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं हैं। विवादित भूखण्ड वर्तमान में अप्रार्थी सं. 3 के आधिपत्य में हैं जिसमें लाईट व पानी के कनेक्शन अप्रार्थी सं. 3 के नाम से है तथा चार दीवारी बना कर एक कमरे के रूप में अस्थाई निवास हैं। अप्रार्थी सं. 3 द्वारा उक्त चार दीवारी का निर्माण कार्य शुरू किया तब प्रार्थी द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सिवाना के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अप्रार्थी सं. 1 को भी अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन फिर प्रार्थी ने अपने पुत्र अशोक कुमार को बचाने के लिये दिनांक 26.06.2018 को आपसी राजीनामा शपथ–पत्र के रूप में प्रस्तुत कर यह कहा कि उक्त भूखण्ड का अशोक कुमार के नाम से प्रक्रिया अपना कर पट्टा जारी किया गया है जिसे मैं मान्य करता हूँ व अशोक कुमार के विरूद्ध मैंने यह प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत लिखाई हैं। ऐसे में तथ्य यह साबित करते हैं कि पिता–पुत्र में दुर्भि–सन्धि विद्यमान हैं। इस निगरानी प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी गुमानदान के पक्ष में किसी प्रकार का तथ्य उपलब्ध नहीं है तथा बेबुनियादी तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमाई जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 सरपंच ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व शुदा भूखण्ड का दुबारा पट्टा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित कर दिया है जो अवैध होने से निरस्त योग्य हैं। जबकि इस सम्बन्ध मे प्रार्थी के द्वारा अपने पुत्र अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में एक आपसी राजीनामा का शपथ–पत्र दिनांक 26.06.2018 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निष्पादित कर स्वीकार किया हैं कि "उक्त भूखण्ड मैने मेरे पुत्र अशोक को अपने स्वंय के उपयोग हेतु मैने स्वंय ने मौखिक रूप से दिया था तथा उक्त भूखण्ड का पट्टा भी अशोक के नाम की पट्टे की प्रक्रिया अपनाकर पट्टा अपने नाम का जारी करवाने हेतु कहा था।" यह भी अंकित किया हैं कि " मेरे पुत्र अशोक द्वारा बिना मेरी सहमति के उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया पट्टे की नहीं की है, तब ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा पट्टा सं. 33 दिनांक 02.09.2014 को जारी किया गया।" इस प्रकार यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अपसी राजीनामा में यह स्वीकार किया हैं कि आलौच्य पट्टा उसकी सहमति एवं जानकारी में जारी हुआ हैं। जहां तक आलौच्य पट्टा अन्तर्गत ग्राम पंचायत की कार्यवाही की सत्यता एवं वैधता का प्रश्न हैं तो अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अपने पुराने निवासगृह का आवासीय पट्टा जारी कराने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत मे पत्रावली का संधारण किया जाकर शुल्क वसूल कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई है तथा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस भी प्रकाशित किया गया है। ग्राम पंचायत कार्यालय मे प्रत्येक प्रक्रम की कार्यवाही को आदेशिका में अंकित किया गया है तथा नियमों के परिप्रेक्ष्य मे सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न किया जाना पाया जाता हैं। इसके पश्चात पंचायत की आम बैठक मे सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसरण मे आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं तथा नियमानुसार इसे उप पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध भी करवाया जा चुका हैं। अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत की ओर से विधिवत कार्यवाही उपरांत जारी पट्टा के आधार पर अप्रार्थी सं. 3 द्वारा इसे पंजीबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा क्रय किया गया हैं व वर्तमान में उसका कब्जा–आधिपत्य होने के दस्तावेज भी प्रस्तुत किये हैं। प्रार्थी द्वारा इस निगरानी प्रार्थना–पत्र में ग्राम पंचायत की कार्यवाही को अवैध, अनियमित अथवा अपूर्ण होने के किसी पहलु को साबित नहीं किया हैं अपितु उसके स्वंय के कथन विरोधाभासी साबित हुए हैं। इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूखण्ड पर अपना हक–अधिकार होना मानता हैं तो उसे सक्षम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सिविल न्यायालय मे उक्त पंजीबद्ध पट्टा विलेख अथवा विक्रय विलेख को निरस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने मे सम्पन्न समस्त कार्यवाही विधि अनुसार व विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाना प्रतीत होता है, साथ ही यह निगरानी प्रार्थना पत्र एक सरसरी जांच कार्यवाही हैं जिसमे पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय किया जाना संभव नही हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने के साथ ही आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:49:31 IST
Reason: SelfAttested